संख्या- 163 /2022/1644 /चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 15 अगस्त, 2022**

विषय:- स्वतंत्रता सप्ताह के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कवि सम्मेलन/ मुशायरा आयोजित कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 1377/सं0नि0-15(20) टी0सी0-।। /2022-23 दिनांक14 अगस्त, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 12 मार्च, 2021 से 15 अगस्त, 2023 तक चलने वाले आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में स्वतंत्रता सप्ताह के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कवि सम्मेलन/ मुशायरा आयोजित कराये जाने के लिए प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की दर से कुल रू0 75.00 लाख (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) सभी 75 जनपदों में से 25 जनपदों का समन्वय लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान द्वारा किया जायेगा। अवशेष 50 जनपदों हेतु अन्य पांच संस्थान/अकादमी द्वारा भाषा विभाग की हिन्दी अकादमी/पंजाबी/सिंधी/उर्दू/ब्रज/भोजपुरी/बुन्देली/अवधी अकादमी के साथ समन्वय कर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ।

(2) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन, पुष्टि तथा समस्त बिल-बाउचरों की जांच करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) उक्त व्यय धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या 163 /2022/1644 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थान/अकादमी ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।